ब–अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

आर0ई0आर0 केश नं0– 20/17–18

मंजू सोरेन वगै0 बनाम् मनोज विकल वगै0

-4-18

–: आदेश :–

वर्त्तमान प्रकिया दिनांक– 24.07.2017 को प्रारंभ हुई। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता उपस्थित हैं।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि मौजा–खदहरा माल, जमाबंदी नं0–03, दाग नं0–990, कुल रकवा– 01–01–02 धूर भूमि के आंशिक रकवा 00–10–9.5 धूर जमीन पर विपक्षीगण कब्जा किये हुए थे, ऐसी जानकारी उन्हें थी। अतः उन्होंने आवेदन दिया था, परन्तु इसकी नापी किये जाने पर यह जानकारी हुई कि विवादित भूमि पर विपक्षी का दखल नहीं है। दिनांक–05.01.2018 को भी इस संबंध में एक आवेदन दिया गया था कि गलतफहमी के कारण यह वाद दायर किया गया था तथा आवेदक को सही जानकारी होने के कारण अब वाद जारी रखना नहीं चाहते हैं। अतः उभय पक्षों में अपसी सुलह होने का शपथ पत्र सं0–1131, दिनांक–27.04.2018 प्रस्तुत कर रहे हैं। अंत में आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता ने अनुरोध किया है कि वाद को समाप्त कर दिया जाय।

विपक्षी कि विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि भूमि आवेदक के हिस्से की नहीं है तथा विपक्षी ने कभी दखल कब्जा नहीं किया, बल्कि जमाबंदी रैयत के अन्य वंशज डोमन सोरेन वो गोपाल सोरेन के हिस्से की यह भूमि है तथा जमाबंदी रैयत के वंशजों के आपसी विवाद में हस्तकक्षेप करने के कारण यह वाद मेरे विरूद्ध दायर किया गया है। जबकि इस भूमि से मेरा कोई सरोकार ही नहीं है। आवेदक जान–बूझ कर मुझे परेशान करने के लिए आर0ई0आर0 वाद सं0–21/17–18, 20/17–18 तथा 44/17–18 का वाद दायर किये हुए हैं। अंत में विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता ने अनुरोध किया है कि वाद को समाप्त कर दिया जाय।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने तथा अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उभय पक्षों के बीच की प्रक्रिया चलाने हेतु प्रथम पक्ष को रूचि नहीं रह गई है। अतः वाद की प्रक्रिया को स्थगित किया जाता है।

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
महागामा।